प्रपत्र पी0डी0–2

(नियम 2(1) उत्तर प्रदेश आसवनी स्थापना नियामवली, 1910 (यथा संशोधित)

सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने का लाइसेंस

लाइसेंस संख्या दिनांक

सर्वश्री **जैन डिस्टिलरी (ए यूनिट बिजनौर स्टील एण्ड एलाय प्रा0 लि0), नगीना रोड, जनपद बिजनौर** को एतद्द्वारा (1) जनपद--बिजनौर में स्थित उनकी आसवनी में 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक अल्कोहल तथा उक्त के अन्तर्गत 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर वार्षिक ई0एन0ए0 के उत्पादन एवं संचय (2) उसे सरकार को या ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए जो सीधे आसवनी से स्प्रिट क्रय करने के हकदार हों।

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिनांक 31–03–2008 तक की अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाता है :–

शर्तें

1– लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

(एक) स्प्रिट का आयात, निर्यात तथा परिवहन के सम्बन्ध में आबकारी मैनुअल के खण्ड–एक में उल्लिखित नियम।

(दो) आसवनी में स्प्रिट (औद्योगिक अल्कोहल) बनाने के सम्बन्ध में आबकारी मैनुअल के खण्ड–1 में दिये गये नियम और

(तीन) ऐसे अन्य नियम या आदेश जो समय–समय पर आबकारी आयुक्त और सरकार द्वारा आबकारी राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0/डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने, इसके बिक्रय, सम्भरण और मूल्य को विनियमित करने के लिए बनाये या निर्गत किए जायं।

2– लाइसेंसधारी आसवनी के लिए आवश्यक समस्त स्थायी भवनों, कुओं, जलमार्गों तथा नालियों का निर्माण करेगा और उन्हें उचित दशा में रखेगा।

3– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0/डिनेचर्ड स्प्रिट के उत्पादन, भण्डारण तथा परिवहन के लिए आवश्यक समस्त संयंत्र तथा उपकरण सम्भरित करेगा और उन्हें परिनिर्मित करेगा।

4– भवनों या स्थिर संयंत्रों में आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा।

5– लाइसेंसधारी रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0/डिनेचर्ड स्प्रिट का ऐसा न्यूनतम स्टाक रखने के लिए बाध्य होगा जिसे आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सामान्य मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विहित करें।

6– लाइसेंसधारी आसवनी के भूगृहादि में समुचित सफाई रखने के लिए उत्तरदायी होगा और कारखाना अधिनियम –1948 की धारा–11 की उपधारा (1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों और जारी किये गये आदेशों के, यदि कोई हो, उपबन्धों का पालन करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इन उपबन्धों में से किसी उपबन्ध से विशेष रूप से छूट न दी जाय।

7– लाइसेंसधारी रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0/डिनेचर्ड स्प्रिट के निर्माण से उत्पन्न क्षेप्य पदार्थों और निःस्राव के निस्तारण के लिए प्रभावकारी प्रबन्ध करेगा और ऐसे समस्त अन्य प्रबन्ध करेगा, जिसे राज्य सरकार कारखाना अधिनियम–1948 की धारा–12 की उपधारा–(2) के उपबन्धों के अधीन इस निमित्त विहित करे।

8– लाइसेंसधारी इस लाइसेंस की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए आबकारी आयुक्त के पास प्रतिभूति के रूप में रूपया 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) नकद तथा रूपया 15,00,000/– (पन्द्रह लाख रूपये) सावधि जमा आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रस्तुत करेगा।

9– आसवनी में केवल औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण किया जायेगा।

10— आसवनी किसी भी दशा में 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर प्रतिवर्ष से अधिक औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन नही करेगी। अल्कोहल उत्पादन क्षमता अर्थात 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर वार्षिक,के अन्तर्गत शोधित आसव, एवं ई0एन0ए0 का उत्पादन तथा बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव, ई0एन0ए0, डिनेचर्ड स्प्रिट एवं स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट का विक्रय करेगी। अतः आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर वार्षिक से अधिक नही होगी। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आसवक का होगा।

11— आसवक अल्कोहल के विक्रय हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर समस्त देय फीस/टैक्स जमा कर विक्रय करेंगे।

12— प्रभारी आबकारी निरीक्षक पाइप लाइनों की फ्लैंजों को अपने समक्ष सील करायेंगे।

13— विकृत अल्कोहल के उत्पादन के समय यह आवश्यक होगा कि आसवक नियमानुसार डी0एस0—1 अनुज्ञापन प्राप्त करेंगे।

14— आसवनी द्वारा शासन द्वारा समय—समय पर जारी शीरा नीति के अनुसार शीरा क्रय करके रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई0एन0ए0/डिनेचर्ड स्प्रिट का निर्माण किया जायेगा।

15— आसवक आबकारी मैनुअल भाग—1 के नियम—843 के अनुसार रेक्टीफाइड स्प्रिट के संचय टैंकों को दीवाल/एक्सपेन्डेड मेटल की जाली से अलग करेंगे।

16— आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम,1910 तथा उसके अधीन बनाये गये समस्त सुसंगत आबकारी नियमों का अनुपालन नियमानुसार किया जायेगा।

17— आसवक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण—पत्र में लगायी गयी शर्तो का पालन करेंगे।

18— आसवक आबकारी मैनुअल भाग—1 के अधीन आसवनी चलाने से सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करेंगे।

19— एतद्द्वारा वर्णित नियमों या शर्तो का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर ऐसी अन्य शास्तियों के अतिरिक्त जैसा संयुक्त प्राम्त आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन विहित हों, लाइसेंस रद्द भी किया जायेगा।

आसवनी की कुल अधिष्ठापित क्षमता **120 (एक सौ बीस)** लाख लीटर वार्षिक है।

प्रतिरूप अनुबन्ध

मैं मोती लाल सिंह..............उपर्युक्त नामित लाइसेंसधारी स्वयं, मेरे दायाद विधिक प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती की ओर से एतद्द्वारा लिखित और अभिव्यक्त-समस्त निबन्धनों तय शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक

लाइसेंसी (मोती लाल सिंह)

साक्षी

1 (S.N. SINGH) (NICL)

2 Yadav (Subhash Ch. Yadav) India Glycols Ltd. GKP.

(हिमांशु कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

जमा प्रतिभूति धनराशि का विवरण :—

रूपया 5,00,000/— (पांच लाख) चालान संख्या—103 दिनांक 29—11—2007
बैंक आफ बड़ौदा, बिजनौर द्वारा निर्गत टी.डी.आर. संख्या 617390 दिनांक 29—11—2007 रूपया 15,00,000/— (पन्द्रह लाख)